कार्यालय जिलाधिकारी / लाईसेंस प्राधिकारी, जनपद बुलन्दशहर।

संख्या 174/2 / जि0आ0अ0 / व्यवस्थापन / 2020–21 / दि0जनवरी 25 2020

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020–21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या–11 / 2020 / 155 ई–2 / तेरह–2020–01 / 2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त उ0प्र0प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 26444 / दस–लाईसेंस–367 / आबकारी नीति / 2020–21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 2020–21 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा,बीयर, माडल शाप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 28.01.2020 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2019–20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2020 (पूर्वान्ह 11.00 बजे)से दिनांक 03.02. 2020(पूर्वान्ह 11.00 बजे)तक ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई–लाटरी के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक 18.02.2020, 12.03.2020 एवं 24.03.2020 से किया जायेगा। जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई–लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट www.bulandshahar.nic.in , विभागीय वेबसाइट www.oldupexcise.in तथा ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।

25.1.20
(संजय कुमार त्रिपाठी)
जिला आबकारी अधिकारी
बुलन्दशहर

25.01.2020
(रविन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी / लाईसेंस प्राधिकारी
बुलन्दशहर

प्रकाशन हेतु नहीं

संख्या 174/3-8 / जि0आ0अ0 / व्यवस्थापन / 2020–21 / तददि0

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1–आबकारी आयुक्त उ0प्र0 प्रयागराज।

2–संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन मेरठ।

3–उप आबकारी आयुक्त मेरठ प्रभार मेरठ।

4–व्यवस्थापक विज्ञापन दैनिक जागरण / अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को 13 गुणा 13 से0मी0(लगभग) कॉलम में प्रकाशित कराकर बिल धनराशि भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

5–समस्त आबकारी निरीक्षक अपराध निरोधक क्षेत्र जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यापक प्रचार प्रसार कराकर अपने क्षेन्त्रान्तर्गत स्थित फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु संबधित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

25.1.20
(संजय कुमार त्रिपाठी)
जिला आबकारी अधिकारी
बुलन्दशहर।

247bsingh